विचार बिन्दु

एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। न वह टूटता है और न उसमें रहने वाला कभी दुःखी होता है। –अज्ञात

वैज्ञानिक चेतना का क्षरण: क्या भारत तर्क और अनुसंधान से दूर होता जा रहा है?

भारत को विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञान-परंपराओं वाला देश माना जाता है। शून्य की खोज, दशमलव प्रणाली, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान और गणित में भारत का योगदान विश्व इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति का वैज्ञानिक अध्ययन किया, चरक और सुश्रुत ने चिकित्सा विज्ञान को नई दिशा दी और नालंदा तथा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरी दुनिया को ज्ञान प्रदान किया। विडंबना यह है कि जिस देश की पहचान कभी वैज्ञानिक जिज्ञासा और ज्ञान के कारण थी, उसी देश में आज वैज्ञानिक चेतना के क्षरण की चिंता बढ़ती जा रही है।

यह चिंता केवल इसलिए नहीं है कि लोग धार्मिक स्थलों पर अधिक जा रहे हैं, बल्कि इसलिए है कि तर्क, प्रमाण और वैज्ञानिक सोच का स्थान धीरे-धीरे भावनाएँ, चमत्कारों की अपेक्षा और अप्रमाणित दावों पर विश्वास लेते दिखाई दे रहे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक और आधुनिक समाज के लिए यह प्रवृत्ति दीर्घकाल में विकास के लिए बाधक सिद्ध हो सकती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(क)(ह) में प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य बताया गया है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करे। दुर्भाग्य से यह संवैधानिक आदर्श हमारे सामाजिक व्यवहार में पर्याप्त रूप से परिलक्षित नहीं होता। आज भी बीमारी का उपचार वैज्ञानिक चिकित्सा से अधिक चमत्कारिक उपायों में खोजा जाता है, ग्रह-नक्षत्रों के नाम पर अनेक आर्थिक और सामाजिक निर्णय लिए जाते हैं और सोशल मीडिया पर बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के फैलाए गए संदेश लाखों लोगों द्वारा सत्य मान लिए जाते हैं।

यह भी सत्य है कि देश में धार्मिक आयोजनों, मंदिरों और विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं के प्रवचनों में भारी भीड़ उमड़ रही है। आस्था भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और उसका सम्मान होना चाहिए। किंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब आस्था तर्क का स्थान लेने लगे या वैज्ञानिक तथ्यों को चुनौती देने लगे। इतिहास बताता है कि भारतीय दर्शन ने भी प्रश्न पूछने और सत्य की खोज की परंपरा को कभी नहीं रोका। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिकता परस्पर विरोधी नहीं हैं; विरोध तब है जब अंधविश्वास विज्ञान पर हावी होने लगे।

शिक्षा व्यवस्था की स्थिति भी चिंता का विषय है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में विज्ञान तथा गणित की पढ़ाई का स्तर लगातार चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। अनेक स्थानों पर प्रयोगशालाएँ केवल औपचारिकता बनकर रह गई हैं। विद्यार्थियों को प्रयोग करने, मॉडल बनाने, अनुसंधान करने और समस्याओं का समाधान खोजने की प्रेरणा कम मिलती है। विज्ञान की शिक्षा रटने तक सीमित हो गई है, जबकि वैज्ञानिक सोच प्रयोग, प्रश्न और खोज की संस्कृति से विकसित होती है।

यह कहना उचित नहीं होगा कि इतिहास, साहित्य, राजनीति विज्ञान या अन्य कला विषय महत्वहीन हैं। एक विकसित समाज को वैज्ञानिकों के साथ-साथ इतिहासकारों, अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और साहित्यकारों की भी आवश्यकता होती है। वास्तविक समस्या विषयों के महत्व की नहीं, बल्कि विज्ञान और गणित के प्रति घटती रुचि तथा अनुसंधान की कमजोर होती संस्कृति की है। यदि विज्ञान और गणित में उत्कृष्ट प्रतिभाएँ कम होंगी तो देश की तकनीकी क्षमता भी सीमित हो जाएगी।

भारत की सबसे बड़ी कमजोरी शोध एवं विकास पर होने वाला कम निवेश है। किसी भी देश की वैज्ञानिक प्रगति का सबसे बड़ा मापदंड यह है कि वह अनुसंधान पर कितना व्यय करता है। इस दृष्टि से भारत अभी भी अग्रणी देशों से काफी पीछे है। उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय आँकड़ों के अनुसार भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल लगभग 0.6 से 0.7 प्रतिशत अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करता है। इसके विपरीत इज़राइल लगभग 6.8 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया लगभग 5.1 प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 3.4 प्रतिशत, चीन लगभग 2.6 से 2.7 प्रतिशत, जबकि ओईसीडी देशों का औसत लगभग 2.7 प्रतिशत है। अर्थात भारत की तुलना में दक्षिण कोरिया लगभग आठ गुना, इज़राइल लगभग दस गुना और चीन लगभग चार गुना अधिक अनुपात में शोध पर निवेश करता है।

भारत की महान वैज्ञानिक परंपरा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की प्राप्ति श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों से होती है। श्रद्धा मनुष्य को नैतिक बनाती है, जबकि विज्ञान उसे समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता देता है। इसलिए आवश्यकता किसी एक को दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने की नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक मूल्यों के संतुलित समन्वय की है।

यही कारण है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, जैव-प्रौद्योगिकी, रक्षा तकनीक, हरित ऊर्जा, रोबोटिक्स और चिकित्सा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में विश्व के अग्रणी आविष्कार मुख्यतः इन्हीं देशों से सामने आते हैं। भारत ने भी अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, वैक्सीन निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, परंतु समग्र शोध संस्कृति अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच सकी है।

एक गंभीर समस्या प्रतिभा पलायन की भी है। देश के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी उच्च शिक्षा और शोध के लिए विदेशों का रुख करते हैं। इसका कारण केवल अधिक वेतन नहीं, बल्कि बेहतर प्रयोगशालाएँ, पर्याप्त शोध अनुदान, आधुनिक उपकरण और स्वतंत्र अनुसंधान का वातावरण भी है। यदि भारत को विश्व स्तरीय शोध शक्ति बनना है तो उसे अपने विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को वैश्विक स्तर की सुविधाएँ उपलब्ध करानी होंगी।

दुखद तथ्य यह भी है कि भारत में कुल अनुसंधान व्यय का बड़ा हिस्सा सरकार वहन करती है, जबकि विकसित देशों में निजी उद्योग अनुसंधान का प्रमुख वित्तपोषक होता है। भारतीय उद्योगों को अनुसंधान एवं नवाचार में अधिक निवेश करना होगा। विश्वविद्यालय, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान का युग है। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था उन्हीं देशों के हाथ में होगी जो ज्ञान और नवाचार में अग्रणी होंगे। यदि भारत केवल उपभोक्ता बना रहा और नई तकनीकों का निर्माता नहीं बन पाया, तो विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य कठिन हो जाएगा।

मीडिया की भी बड़ी जिम्मेदारी है। यदि समाचारों में विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार की उपलब्धियों को पर्याप्त स्थान मिले तथा वैज्ञानिक विषयों को सरल भाषा में समाज तक पहुँचाया जाए, तो युवाओं में विज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आज सोशल मीडिया पर अप्रमाणित सूचनाएँ वैज्ञानिक तथ्यों की तुलना में अधिक तेजी से फैलती हैं। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए वैज्ञानिक संवाद को बढ़ावा देना आवश्यक है।

परिवार और विद्यालयों को भी बच्चों में प्रश्न पूछने की आदत विकसित करनी होगी। यदि कोई बच्चा 'क्यों' पूछता है तो उसे चुप कराने के बजाय उसका उत्तर खोजने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। विज्ञान जिज्ञासा से जन्म लेता है, भय से नहीं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विज्ञान, गणित, नवाचार और कौशल विकास पर बल दिया गया है। अब आवश्यकता उसके प्रभावी क्रियान्वयन की है। प्रत्येक विद्यालय में आधुनिक प्रयोगशालाएँ हों, विज्ञान प्रदर्शनियों को प्रोत्साहन मिले, विश्वविद्यालयों में शोध अनुदान बढ़े, उद्योगों को अनुसंधान में निवेश के लिए कर प्रोत्साहन दिया जाए तथा देश के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो शोध एवं विकास पर व्यय को आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कम-से-कम के दो प्रतिशत तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित करना होगा।

भारत की महान वैज्ञानिक परंपरा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की प्राप्ति श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों से होती है। श्रद्धा मनुष्य को नैतिक बनाती है, जबकि विज्ञान उसे समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता देता है। इसलिए आवश्यकता किसी एक को दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने की नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक मूल्यों के संतुलित समन्वय की है।

यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो केवल विशाल अर्थव्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी। हमें वैज्ञानिक चेतना, अनुसंधान संस्कृति और नवाचार को राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा बनाना होगा। जिस दिन देश का प्रत्येक बच्चा बिना भय के प्रश्न पूछ सकेगा, प्रत्येक विश्वविद्यालय शोध का केंद्र बनेगा, प्रत्येक उद्योग नवाचार में निवेश करेगा और प्रत्येक नागरिक प्रमाण के आधार पर निर्णय लेना सीखेगा, उसी दिन भारत वास्तव में ज्ञान महाशक्ति बनने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका होगा। यही वैज्ञानिक भारत की सबसे मजबूत नींव होगी और यही विकसित भारत का वास्तविक मार्ग भी।

–अतिथि सम्पादक,
राम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

महिला सुरक्षा संकल्प : राजस्थान में सकारात्मक परिवर्तन की शुरूआत

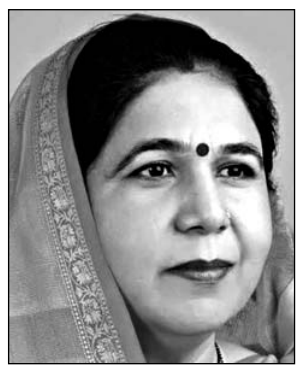

मंजू बाघमार

सभ्य समाज की वास्तविक प्रगति का आकलन इस बात से किया जाता है कि वहां की महिलाएं स्वयं को कितना सुरक्षित, सम्मानित और आत्मविश्वासी महसूस करती हैं। सड़क से लेकर विद्यालय, कार्यस्थल से लेकर घर और डिजिटल दुनिया से लेकर सार्वजनिक जीवन तक महिलाओं को उपलब्ध निर्भय वातावरण से ही विकास की अवधारणा सार्थक मानी जा सकती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिला सुरक्षा को कानून-व्यवस्था की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मानने के साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्व और जनसहभागिता का व्यापक अभियान बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। इसी सोच का सशक्त उदाहरण राजस्थान पुलिस द्वारा जुलाई माह में संचालित राज्यव्यापी महिला सुरक्षा संकल्प अभियान है। यह अभियान अपराध नियंत्रण के साथ महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनी सुरक्षा, आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा पुलिस से सहज संवाद स्थापित करने का व्यापक जनआंदोलन बनकर सामने आया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला सुरक्षा को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में माना है। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप पुलिस प्रशासन को संवेदनशील, जवाबदेह और तकनीक-सक्षम बनाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। महिला सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस और समाज के बीच विश्वास का रिश्ता मजबूत करने तथा प्रत्येक नागरिक स्वयं को इस अभियान का सहभागी बनाने के उद्देश्य से महिला सुरक्षा संकल्प संचालित किया गया।

इस अभियान की शुरुआत पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के विशेष प्रशिक्षण से हुई। जेंडर सेंसिटाइजेशन, महिला अपराधों के प्रति संवेदनशील व्यवहार, राजकॉप ऐप, महिला बीट अधिकारी योजना, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, गरिमा हेल्पलाइन 1090, साइबर हेल्पलाइन 1930, पोक्सो ई-बॉक्स तथा महिला सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कानूनों की विस्तृत जानकारी देकर पुलिस बल को अधिक उत्तरदायी बनाया गया। पुलिस अधिकारियों के लिए यह स्पष्ट संदेश है कि महिला सुरक्षा अपराध होने के बाद की कार्यवाही के साथ अपराध की रोकथाम और संवेदनशील पुलिसिंग का भी प्रश्न है।

महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम आत्मविश्वास है। इसी उद्देश्य से अभियान के दौरान छात्राओं, महिलाओं, गृहिणियों, सुरक्षा सखियों, पीटीआई प्रशिक्षकों तथा लखपति दीदी जैसी विभिन्न श्रेणियों की महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण से जोड़कर उनमें आत्मविश्वास विकसित किया गया। प्रतिभागियों ने स्वयं स्वीकार किया कि इस प्रशिक्षण ने उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस और मानसिक मजबूती प्रदान की।

इस अभियान की एक बड़ी विशेषता यह रही कि इसे केवल पुलिस तक सीमित नहीं रखा गया। सुरक्षा सखियों, महिला सीएलजी सदस्यों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों, एनएसएस, एनसीसी, स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला अधिवक्ताओं, शिक्षकों और गृहिणियों को जोड़कर व्यापक सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। महिलाओं को पोश एक्ट, पोक्सो कानून, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, महिला बीट अधिकारी योजना, साइबर अपराधों से बचाव और विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी गई। इससे महिला सुरक्षा को सामाजिक आंदोलन का स्वरूप मिला।

राजस्थान पुलिस ने इस अभियान के माध्यम से समाज के उन वर्गों तक भी पहुंचने का प्रयास किया, जो अक्सर सरकारी अभियानों की मुख्यधारा से दूर रह जाते हैं। अकेले रहने वाली वृद्ध महिलाओं, वरिष्ठ नागरिक दंपतियों तथा एकाकी महिलाओं के घर-घर जाकर पुलिस ने उनका हालचाल जाना और उन्हें आपातकालीन सेवाओं, 112, 1090, 1930, राजकॉप ऐप तथा किरायेदार एवं घरेलू सहायकों के सत्यापन जैसी व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी। यह पहल संवेदनशील पुलिसिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।

अभियान के दौरान महिला पुलिस अधिकारियों ने मलिन बस्तियों, झुग्गी-झोपड़ियों, निर्माण स्थलों, ईंट-भट्टों तथा प्रवासी श्रमिक महिलाओं तक पहुंचकर उन्हें गुड टच-बैड टच, महिला अधिकारों, आत्मरक्षा और कानूनी सुरक्षा के बारे में जागरूक किया। राज्य सरकार महिला सुरक्षा को केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षा का विश्वास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

विद्यालयों और महाविद्यालयों में आयोजित ऑनलाइन संवादों ने इस अभियान को भविष्य की पीढ़ी से भी जोड़ दिया। छात्र-छात्राओं को लैंगिक संवेदनशीलता, साइबर सुरक्षा, पोक्सो कानून, महिला हेल्पलाइन, आत्मरक्षा तथा कानूनी अधिकारों की जानकारी देकर बचपन से ही सम्मानजनक सामाजिक व्यवहार की संस्कृति विकसित करने का प्रयास किया गया। महिला सुरक्षा की स्थायी नींव शिक्षा और जागरूकता से ही रखी जा सकती है। महिला सुरक्षा केवल पुलिस विभाग की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। इसे प्रभावी बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वन स्टॉप सेंटर तथा हेल्पलाइन सेवाओं के साथ समन्वय स्थापित किया गया। इस अंतरविभागीय सहयोग से राज्य सरकार महिला सुरक्षा के लिए एक समठा तंत्र विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

अभियान के अंतिम चरण में बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल मार्च, वाहन रैलियां तथा जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आम नागरिकों को महिला सुरक्षा कानूनों, हेल्पलाइन सेवाओं, महिला बीट अधिकारी योजना तथा राजकॉप सिटीजन ऐप के उपयोग के प्रति प्रेरित किया गया। इससे यह संदेश गया कि महिला सुरक्षा सरकार की योजना भर नहीं, बल्कि पूरे समाज का साझा संकल्प है।

महिला सुरक्षा संकल्प ने पुलिस और जनता के बीच संवाद को मजबूत किया है, महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाया है तथा समाज में सुरक्षा के प्रति सामूहिक चेतना विकसित करने का प्रयास किया है। यह पहल दर्शाती है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार महिला सुरक्षा को विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय के मूल एजेंडे का अभिन्न हिस्सा मानती है। महिला सुरक्षा का वास्तविक अर्थ अपराधों में कमी लाने के साथ ही ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां प्रत्येक बेटी, बहन और महिला बिना भय के अपने सपनों को साकार कर सके। सरकार की संवेदनशील नीतियां, पुलिस की जवाबदेही और समाज की सक्रिय भागीदारी से राजस्थान महिला सुरक्षा और सम्मान के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान और अधिक मजबूत करने की दिशा में अग्रसर है। महिला सुरक्षा संकल्प इसी सकारात्मक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी शुरुआत है।

–मंजू बाघमार,
महिला एवं बाल विकास
राज्य मंत्री

विदेशी फंडिंग पर नियंत्रण: एफ.सी.आर.ए. संशोधन क्यों है समय की मांग

डॉ. नीरज रावत

भारत में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) में प्रस्तावित 2026 संशोधनों को लेकर पश्चिमी देशों (विशेषकर अमेरिका) की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन यह प्रतिक्रिया किसी सिद्धांत-गत चिंता से अधिक उस प्रभाव के कमजोर पड़ने की बेचैनी है, जिसे वर्षों से विदेशी फंडिंग के माध्यम से विकसित देशों ने भारत जैसे देशों में स्थापित किया है।

भारत सरकार द्वारा संसद में प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन और जून 2026 में अधिसूचित नियमों का मूल उद्देश्य स्पष्ट है कि विदेशी धन के प्रवाह को पारदर्शी, उद्देश्य-निर्धारित और जवाबदेह बनाना। अब किसी भी संस्था को न केवल यह बताना होगा कि वह विदेशी धन किस उद्देश्य से ले रही है, बल्कि उसे यह भी स्पष्ट करना होगा कि वह किन राज्यों या क्षेत्रों में उसका उपयोग करेगी।

इसके साथ ही, प्रोसेलिटाइजेशन अर्थात धर्मांतरण-उन्मुख गतिविधियों को विदेशी फंडिंग के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। प्रस्तावित 2026 विधेयक में इससे भी आगे बढ़ते हुए यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई संस्था एफसीआरए पंजीकरण का उल्लंघन करती है या उसका नवीनीकरण नहीं होता, तो विदेशी धन से निर्मित संपत्तियों का प्रबंधन एक निर्धारित प्राधिकरण के हाथ में जा सकता है।

साथ ही, निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है, दंड प्रावधानों को तार्किक बनाया गया है, और अपील का अधिकार भी सुनिश्चित किया गया है। स्पष्ट है कि यह कानून किसी भी प्रकार की वैध सामाजिक गतिविधि को रोकने के लिए नहीं, बल्कि विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए है।

विदेशी फंडिंग: विकास का साधन या प्रभाव का औजार?-यह प्रश्न अब टाला नहीं जा सकता कि विदेशी फंडिंग का वास्तविक स्वरूप क्या रहा है। क्या यह केवल विकास का साधन है, या इसके माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी स्थापित किया जाता रहा है? भारत में पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि कड़े नियमों के बावजूद विदेशी फंडिंग का प्रवाह जारी है, बल्कि कई मामलों में बढ़ा भी है। यह इस बात का संकेत है कि भारत विदेशी दाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है और यही कारण है कि नियंत्रण कड़ा होने पर असहजता भी बढ़ती है। इतिहास में अनेक उदाहरण ऐसे रहे हैं, जहां विदेशी फंडिंग का उपयोग केवल सेवा कार्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि:-स्थानीय आंदोलनों को प्रभावित करने, विकास परियोजनाओं के खिलाफ लामबंदी करने, नीति-निर्माण पर दबाव बनाने, और वैचारिक एजेंडा स्थापित करने जैसे कार्यों में भी इसका उपयोग हुआ है। कई बार यह देखा गया है कि विदेशी फंड से संचालित अभियान जन आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि उनके पीछे बाहरी वित्तीय और वैचारिक समर्थन मौजूद होता है। इससे लोकतांत्रिक विमर्श की स्वाभाविकता प्रभावित होती है।

धर्मांतरण और सामाजिक संतुलन का प्रश्न-विदेशी फंडिंग का सबसे संवेदनशील पहलू धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा है। दशकों से यह आरोप लगता रहा है कि विदेशी धन का एक बड़ा हिस्सा मिशनरी गतिविधियों में लगाया जाता है, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लक्षित कर। भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता किसी प्रकार के आर्थिक प्रलोभन या बाहरी हस्तक्षेप के माध्यम से धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देती। जब धर्मांतरण एक सुनियोजित और वित्त-पोषित प्रक्रिया बन जाता है, तो यह केवल व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं रह जाता-यह सामाजिक संतुलन, सांस्कृतिक निरंतरता और राष्ट्रीय एकता से जुड़ा प्रश्न बन जाता है। एफसीआरए संशोधन इसी बिंदु पर निर्णायक रुख अपनाता है और धर्म आधारित सेवा कार्य स्वीकार्य हैं, लेकिन विदेशी धन के माध्यम से समाज की जन-सांख्यिकीय संरचना को प्रभावित करने का प्रयास नहीं।

संप्रभुता बनाम हस्तक्षेप: मूल विवाद यही है

पश्चिमी देशों की आलोचना का मूल कारण सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि उनके प्रभाव क्षेत्र का सीमित होना है। अमेरिका सहित कई देश स्वयं विदेशी हस्तक्षेप के मामलों में अत्यंत कठोर कानून लागू करते हैं। वहां विदेशी लॉबिंग, राजनीतिक फंडिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सख्त नियंत्रण है।

ऐसे में भारत द्वारा अपने संदर्भ में समान कदम उठाना न केवल तार्किक है, बल्कि अनिवार्य भी है। आज का भारत 1970 या 1990 का भारत नहीं है। यह एक आत्मविश्वासी, उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, जो अपनी नीतियों और सामाजिक संरचना पर बाहरी प्रभाव को बिना जांच-परख के स्वीकार नहीं कर सकता।

स्पष्ट संदेश: भारत अपने हितों पर समझौता नहीं करेगा

एफसीआरए संशोधन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत अब ओपन सोसाइटी के नाम पर असीमित विदेशी प्रभाव को स्वीकार नहीं करेगा। सहयोग का स्वागत है, लेकिन शर्त यह है कि वह पारदर्शी हो, जवाबदेह हो और भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हो। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित संशोधन पूर्वव्यापी (रूेजमून) नहीं होंगे और सभी हितधारकों से संवाद किया जा रहा है, जिससे अनावश्यक आशंकाओं को दूर किया जा सके।

अंततः, यह समझना आवश्यक है कि एफसीआरए किसी संस्था या समुदाय के खिलाफ नहीं है। यह एक प्रणालीगत सुधार है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत में आने वाला हर विदेशी रुपया देश के विकास और सामाजिक कल्याण में योगदान दे, न कि, किसी बाहरी एजेंडे का साधन बने।

भारत को अपने लोकतंत्र की मजबूती के लिए केवल चुनावी प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के वैचारिक और वित्तीय ढांचे की भी सुरक्षा करनी होगी। एफसीआरए संशोधन उसी दिशा में एक निर्णायक और आवश्यक कदम है। यह केवल एक कानून नहीं बल्कि यह भारत की संप्रभुता, सांस्कृतिक अस्मिता और नीति-स्वतंत्रता का स्पष्ट उद्घोष है।

-डॉ. नीरज रावत,
स्वतंत्र पत्रकार

सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर पांच वाहन सीज़

झुंझुनूं, (निसं)। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और आमजन व स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएस) झुंझुनूं ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले पांच वाहनों को सीज कर दिया, जबकि 10 वाहनों पर जुर्माना लगाया। कार्रवाई के दौरान लग्जरी एवं स्लीपर बसों के साथ-साथ स्कूल बालवाहिनियों की भी सघन जांच की गई।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के सदस्य सचिव हरि ओम शर्मा अत्री तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंझुनूं के अध्यक्ष सुनील कुमार पंचोली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. महेंद्र के. सिंह सोलंकी के नेतृत्व में पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण अभियान चलाया।

निरीक्षण के दौरान मोटर वाहन अधिनियम एवं राज्य सरकार की एसओपी के तहत लग्जरी और स्लीपर बसों में सुरक्षा मानकों की गहन जांच की गई। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर 3 स्लीपर बसों को मौके पर ही सीज कर दिया गया, जबकि छह अन्य स्लीपर बसों पर जुर्माना लगाया गया।

इस दौरान डॉ. महेंद्र के. सिंह सोलंकी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाकर लोगों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अनियंत्रित गति, ओवरलोडिंग और सुरक्षा मानकों की अनदेखी ही अधिकांश जानलेवा हादसों का प्रमुख कारण बनती है, इसलिए ऐसे मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि जब्त की गई बसों के यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें अन्य बसों में सुरक्षित बैठाकर उनके गंतव्य तक रवाना किया गया। साथ ही आमजन से अपील की गई कि बस में यात्रा करने से पहले वाहन की वैधता, फिटनेस और अन्य आवश्यक जानकारी अवश्य जांच लें, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। अभियान के तहत स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बालवाहिनियों की भी गहन जांच की गई। सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली 2 स्कूल बालवाहिनियों को सीज किया गया, जबकि 4 अन्य बालवाहिनियों पर जुर्माना लगाया गया।

- **तीन स्लीपर बसें और दो स्कूल बाल वाहिनियां सीज़ कर 10 वाहनों पर जुर्माना लगाया**

प्राधिकरण सचिव ने वाहन चालकों एवं स्कूल प्रबंधन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर बच्चों एवं आमजन की जान से खिलवाड़ करने वाले किसी भी वाहन संचालक को बख्शा नहीं जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इस प्रकार के विशेष अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे। निरीक्षण दल में साइबर थाना झुंझुनूं के थानाधिकारी रामखिलाड़ी , परिवहन निरीक्षक सुमित कुमार, परिवहन निरीक्षक रोहिताश कुमार, राजेश कुमार तथा अनिल कुमार शामिल रहे।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शनिवार 8 अगस्त, 2026

सावन मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2083, रोहिणी नक्षत्र सायं 4:51 तक, धुव्र योग प्रातः 9:02 तक, विष्टि करण दिन 2:00 तक, चन्द्रमा रात्रि 3:49 से मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-वृष, मंगल-मिथुन, बुध-कर्क, गुरू-कर्क, शुक्र-कन्या, शनि-मीन राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से दिन 2:00 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से सायं 4:51 तक है। आज भद्रा दिन 2:00 तक है। आज रोहिणी व्रत (जैन) है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:34 से 9:14 तक, चर 12:32 से 2:11 तक, लाभ-अमृत 2:11 से 2:23 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:58, सूर्यास्त 7:06

मेष
घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। मानसिक तनाव दूर होगा।

मिथुन
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी और मन में असंतोष बना रहेगा। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

कर्क
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आय में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

तुला
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृश्चिक
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा, उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय दूर होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

मकर
व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
घर